

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 493/2026
URN: SOSA / 948U / 2026

In

S.B. Criminal Appeal no. 556/2026

Manglaram S/o Sheodan, Aged About 65 Years, R/o Kot Police Station Madawar District Dausa (Rajasthan) (Accused Appellant Presently Confined In Jail Central Dausa)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Its Public Prosecutor.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Dushyant Singh Naruka
For Respondent(s)	: Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI
Order

17/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश महवा जिला दौसा (राज.) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-179/2020 (सी.आई.एस. नं. 83/2020), राजस्थान राज्य बनाम मंगलराम व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 06.03.2026 के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 01.06.2015 से 10.09.2015

तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह वर्तमान में निर्णय की दिनांक 06.03.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। अपीलार्थी—अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि लगभग 7 माह की हो चुकी है। अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई है तथा कुछ साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी—अभियुक्त ने आहत मदनलाल को धारदार हथियार से प्राणघातक चोट कारित की है जिसकी पुष्टि मेडिकल साक्ष्य से होती है। अपीलार्थी—अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है जबकि उनकी अभिरक्षा की अवधि मात्र सात माह की हुई है जो काफी कम है। उनका यह भी तर्क रहा है कि घटना के दिन से आहत का चोट प्रतिवदेन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुण्डावर में तैयार हुआ है। मेडिकल एक्सपर्ट ने इसकी पुष्टि की है। अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों—वितर्कों पर मनन किया। आहत मदनलाल पीडब्ल्यू 5 के बयान, मेडिकल एक्सपर्ट पीडब्ल्यू 13 के बयान व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलार्थी—अभियुक्त को 10 वर्ष के दंड से दंडित किया गया है, जबकि अभिरक्षा की अवधि मात्र 7 वर्ष की हुई है। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति, प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी—अभियुक्त **मंगलराम पुत्र श्योदान** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 430 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J